

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्यों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका वितरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कलावती देवी पत्नी श्री भगवान सिंह यादव	श्रीमती कलावती देवी पत्नी श्री भगवान सिंह यादव	26	84.00	प्रागपुरा गृनिसस	श्री वैष्णव विहार	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के सम्बन्ध में।
2.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपाल	श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रामलाल	203	40.50	जविप्रा स्कीम	माचडा पुर्नवास योजना (कच्ची बस्ता)	लीजडीड जारी करने हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जयपुर जोन-6
जविप्रा जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी- 1523

दिनांक: 23-5-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चौसला, तहसील चाकसू, के संलग्न/ खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-112)

दिनांक:— 23.05.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102467

दिनांक: 19/05/2023

लोक सूचना

श्री RAMKISHAN MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA जाति MEENA निवासी SHANKARPURA, JAIPUR, RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	1010/894	1300	0.13
2.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	889	300	0.03
3.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	893	1300	0.13
4.	चौसला, चाकसू (जयपुर)	RAMKISHAN MEENA	1008/884	100	0.01
कुल					0.3

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19-05-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-1635


दिनांक:- 18/5/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रूपना गोयल	18	जविप्रा	शुभम एन्क्लेव	पट्टा	मुख्तयारनामाआम, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड एवं मूल दस्तावेजों गुम होने की दशा में एफ. आई.आर की कॉपी


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 1639

दिनांक:- 18/5/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रुकमणी देवी	160	जविप्रा	झालाना फेज-II	नाम हस्तन्तरण	अपजीकृत इकरारनामा एवं मुख्तयारनामाआम

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-1167

दिनांक 23/5/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती माया देवी पत्नी श्री विष्णु	श्रीमती मीना कुमार पत्नी श्री मदन लाल	ए-443	50 वर्ग मी.	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	नाम हस्तान्तरण व फ्री होल्ड	अपंजीकृत इकरारनामा व अन्य पत्रादि
2	श्रीमती गोपी देवी पत्नी रोचामल	श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद	ए-260	50 वर्ग मी.	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	नाम हस्तान्तरण व फ्री होल्ड	अपंजीकृत इकरारनामा व अन्य पत्रादि
3	श्री मानसिंह पुत्र श्री बंशीलाल	श्री नानग राम पुत्र श्री माली राम	सी-10	50 वर्ग मी.	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	जविप्रा की विद्याधर नगर, योजना	नाम हस्तान्तरण व फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य पत्रादि

उपायुक्त 2/1
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सालगरामपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी- 1127
दिनांक: 23.5.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102580

दिनांक: 23/05/2023

लोक सूचना

श्री DEVENDRA KUMAR SINGHAL पुत्र श्री MUKUT BIHARI जाति MAHAJAN निवासी 162 NANDPURI JAGATPURA ROAD JAIPUR, JAIPUR

श्री RAJNISH KUMAR SINGHAL पुत्र श्री SATISH CHAND SINGHAL जाति MAHAJAN निवासी 158, MOHAN NAGAR GOPALPURA BAIPASS NEAR RIDDHI SIDDHI JAIPUR MANSAROVAR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	1.DEVENDRA KUMA SINGHAR S/O MUKUT BIHARI 2. RAJNISH KUMAR SINGHAL S/O SATISH CHAND SINGHAL	521/391	5500	0.55
				कुल	0.55

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23-05-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2023/डी-1075

दिनांक 24-05-2023

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	457बी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्री नोरत मल गर्ग पुत्र स्व.श्री औकार लाल गर्ग, अंकित गर्ग, नेहा गर्ग, पुत्र/पुत्री श्री नोरत मल गर्ग पुत्र	लीजधारिका श्रीमती निर्मला गर्ग पुत्री श्री राम निवास गोयल	मूल लीजधारिका का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.08.2020, वारिसान् शपथ पत्र, आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2023 / डी-1071

दिनांक 24.05.2023

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पुराना नं. 29 नया एच-44	सिद्धार्थ नगर-एच	श्री प्रेम सिंह गुर्जर पुत्र श्री ज्ञान सिंह गुर्जर	शशि लोढा पुत्री श्री कैलाश चन्द	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईड प्लान एवं रसीद आदि।
2	158बी	शिव शक्ति नगर-ए	श्रीमती सुनीता खटवानी पत्नी स्व. श्री तुलसी खटवानी	श्री तुलसी खटवानी पुत्र श्री बिशनदास	अपंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-1186

दिनांक 24.5.23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (पू.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग गिराके लिए आवेदन किया गया
1	0E	श्रीमती कनुप्रिया हाड़ा, श्रीमती लोकेश कुमार हाड़ा, श्री मनोहर सिंह हाड़ा एवं श्री जितेन्द्र सिंह हाड़ा	श्रीमती कनुप्रिया हाड़ा, श्रीमती लोकेश कुमार हाड़ा, श्री मनोहर सिंह हाड़ा एवं श्री जितेन्द्र सिंह हाड़ा	142, 143, 144 व 145	आवासीय	लकापुरी शांति नगर	1604.44 व. ग.	आवासीय	पर्यटन ईकाई (होटल) प्रयोजनार्थ

उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-5
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1187

दिनांक: 24.5.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स./निजी खातेदारी /जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	श्री अनिल सोनी पुत्र श्री रामस्वरूप सोनी	श्री भगवान सहाय पुत्र श्री भंवर लाल	23	200.00	जलमहल	विश्वकर्मा नगर-I-II	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत दस्तावेज
2.	138709	श्री हितेश मिश्रा पुत्र स्व. श्री राकेश मिश्रा	श्री मुरलीधर मिश्रा पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राय मिश्रा	ए-263	223.00	जविप्रा	त्रिवेणी नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
3.	138560	श्री अनिरुद्ध सिंह पालावत पुत्र स्व. श्री मधु सूदन सिंह	श्री मधु सूदन सिंह पुत्र श्री प्रभू दान सिंह	44	394.62	नव जीवन	निर्माण नगर-एबी	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
4.	125902	श्री फूल चन्द सरावगी पुत्र स्व. श्री सोहन लाल सरावगी	श्रीमती त्रिलोकी बाई पत्नी स्व. श्री श्याम दास	6	400.00	कीर्ति नगर	कीर्ति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा तथा सूची में नाम अंकित नहीं होने से
5.	-	श्री प्रवीण बांठिया पुत्र स्व. श्री हाथी मल बांठिया	श्री राम किशोर यादव	एच-29	220.83	न्यू पिकसिटी	श्याम नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	-
6.	128248	श्रीमती हेमलता शर्मा पत्नी स्व. श्री किशन लाल शर्मा	श्री नन्द किशोर कच्छवाहा पुत्र श्री रामनाथ सिंह	ई-204	142.2	अपोलो नगर	राम नगर विस्तार	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र तथा मूल रसीद गुम होने बाबत

उपायुक्त जोन-5


प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा. जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सुशीला देवी उर्फ कल्ली पत्नी श्री कल्लू	चरण सिंह चूडावत	10/ओबीजी / 61	90 व. मी.	जविप्रा	बगराना रिंग रोड	लीजडीड हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त सहायक (जोन-10) के
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन- 10/2023/डी- 1098
दिनांक: 24/5/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-11/उपा./2023/डी-1439

दिनांक 24/5/23

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

संख्या 1439

लोक-सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

अट्रोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात् की कालावधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय, पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण लूणियावास गृह निर्माण सहकारी समिति (विशाल नगर विकास समिति, सांगानेर) की योजना "विशाल नगर" के द्वारा इसका मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। भूखण्डधारियों द्वारा भूमि के नियमन के संबन्ध में आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये हैं जिसके साथ भूखण्ड क्रय सम्बन्धी विक्रय पत्र/इकरारनामा संलग्न किये गये हैं, जिसके आधार पर भूमि का मौके पर निरीक्षण करवाया गया। प्रथम दृष्टया भूमि का अकृषि प्रयोग किये जाने के साक्ष्य/रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदार अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91, सपठित धारा 90ए(5) राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (i) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः वयों नहीं निम्नांकित खातेदारों की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावर्तित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम	तहसील	ख.नं.	रकबा हैक्ट.	स्वामित्व
मदरामपुरा	सांगानेर	260	0.63	श्रीमती परमेश्वरी पुत्री स्व. रेखाराम जाति जाट साकिन घडल्या की ढाणी, ग्राम कोलिंडा तहसील सीकर, जिला सीकर
		261	0.55	श्री भवरलाल नागा पुत्र स्व. श्री दानाराम नागा जाति जाट सा. रामपुरा, तहसील सीकर, जिला सीकर
		कुल किता 2	1.18	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविपि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.6.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.6.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में धारा 91 सहपठित धारा 90-क(5) एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/ वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं. 202, द्वितीय मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक(ज्यूडिसिरी बिल्डिंग) जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/पक्ष/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियों प्रस्तुत नहीं करने की दशा में एकतरफा कार्यवाही करके खातेदारी अधिकारों को पर्यावर्तित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आजदिनांक 24/5/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बन्धित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(जयपुर), कार्यालय विस्तार स्टेडियम, बंगला नगर।

क्रमांक-जविप्र/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रधान)/2023/सी- 435

दिनांक-24/5/23


- आम सूचना -

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विवरण निम्नांकित है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पूरा जगहों का नाम	खण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या (अंग)	पू.नि.सं.	जगह का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री श्रीरामचंद्र खन्टे/श्री.पुत्र श्री रामचंद्र खन्टे/श्री.पुत्र	श्रीमती विमला देवी धनी श्री रमेश चंद्र एम.डी.एन. सरीफ इन्डिया की विलक्षण	227 & S.No 34835	15722	का.सं.सं. 101	संगमरमि हस्तशिल्प	आवधिक लीजलैंड का	श्रीमती द्वारा जारी पुन आवेदन पर एम.डी.एन. दस्तावेजों के अभाव पर।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जविप्र जयपुर।

प्रतिलिपि - जनसंपर्क अधिकारी जविप्र, जयपुर को प्रेषित कर लेने के भी साथ सरकार को आवेदनों के अंग में विवरण का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।


 उपायुक्त पीआरएन-उत्तर(प्रधान)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने वावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम वाढरमजानीपुरा, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरानुसार विज्ञापित का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1



उपायुक्त
जोन-14, जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-
दिनांक:-

लोक सूचना

श्री HEMRAJ पुत्र श्री KANHAIYALAL जाति BALAI निवासी VILLAGE PRHALADPURA TEH. SANGANER JAIPUR

श्री RITIK पुत्र श्री KANHAIYALAL जाति BALAI निवासी VILLAGE PRHALADPURA SANGANER JAIPUR


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	बाढरगजानीपुरा, धाकसू (जयपुर)	RITIK AND HEMRAJ S/O KANHAIYALAL	112/1	400	0.04
कुल					0.04

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-05-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102579

दिनांक: 23/05/2023

लोक सूचना

श्री M/S KRISHNA PROPERTIES PARTNER MOHIT AGARWAL पुत्र श्री GOVIND AGARWAL जाति MAHAJAN
निवासी SHOP NO. 38 JAI AMBEY NAGAR TONK ROAD JAIPUR

श्री M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA पुत्र श्री NATHU LAL GUPTA जाति
MAHAJAN निवासी 79 BRIJFURI AIRPORT ROAD JAGATPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के
निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र.स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मथुरावाला, सांगानेर (जयपुर)	1. M/S KRISHNA PROPERTEIS PARTNER MOHIT AGARWAL S/O GOVIND AGRAWAL 2. M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA S/O SHRI NATHU LAL GUPTA	55	3600	0.36
2.	मथुरावाला, सांगानेर (जयपुर)	1. M/S KRISHNA PROPERTEIS PARTNER MOHIT AGARWAL S/O GOVIND AGRAWAL 2. M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA S/O SHRI NATHU LAL GUPTA	57	1300	0.13
3.	मथुरावाला, सांगानेर (जयपुर)	1. M/S KRISHNA PROPERTEIS PARTNER MOHIT AGARWAL S/O GOVIND AGRAWAL 2. M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA S/O SHRI NATHU LAL GUPTA	58	4600	0.46

4.	मथुरावाला, सांगानेर (जयपुर)	1. M/S KRISHNA PROPERTEIS PARTNER MOHIT AGARWAL S/O GOVIND AGRAWAL 2. M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA S/O SHRI NATHU LAL GUPTA	59	1600	0.16
5.	मथुरावाला, सांगानेर (जयपुर)	1. M/S KRISHNA PROPERTEIS PARTNER MOHIT AGARWAL S/O GOVIND AGRAWAL 2. M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA S/O SHRI NATHU LAL GUPTA	60	4000	0.4
6.	मथुरावाला, सांगानेर (जयपुर)	1. M/S KRISHNA PROPERTEIS PARTNER MOHIT AGARWAL S/O GOVIND AGRAWAL 2. M/S SHIVAM DEVELOPERS PARTNER ALOK KUMAR GUPTA S/O SHRI NATHU LAL GUPTA	61	4600	0.46
				कुल	1.97

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23.05.2023 को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
 जयपुरा जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर